N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0145 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 19/07/2024 16:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 04/07/2024 Date To (दिनांक तक): 17/07/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:45 बजे Time To (समय तक): 11:44 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/07/2024 Time (समय): 14:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 19/07/2024 16:47:09 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 520 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): PS CHAORASI DUNGARPUR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJMAL ROAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DUNGAR JI ROAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MAL CHAUKI, JHAOTHRI, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MAL CHAUKI, JHAOTHRI, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KARULAL		पिता:DEVJI	1. BOKHALA,DUNGARPUR,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 7,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाकियात मामला इस प्रकार हैं कि दिनांक 04-07-2024 को समय करीब 11.45 ए.एम. पर ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर परिवादी श्री राजमल रोत पुत्र श्री डूंगर जाति रोत उम्र 48 वर्ष निवासी माल चौकी प.स. झौथरी जिला डूंगरपुर व उसका साथी जयप्रकाश रोत उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित को इस आशय की पेश की कि "मै श्री राजमल रोत पुत्र श्री डूंगर जाति रोत उम्र 48 वर्ष निवासी माल चौकी प. स. झौथरी जिला डूंगरपुर का निवासी है मेरे छोटे भाई लक्षमण की पुत्री सुश्री शिवानी को महिपाल पिता डूंगर निवासी माल चौरासी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था जिसकी रिपोर्ट मेरे भाई लक्ष्मण व मेने पुलिस थाना चौरासी पर जाकर कार्यवाही करने को दिनांक 25.06.2024 को श्री कालुराम जी हैड साहब पुलिस थाना चौरासी को दी थी हैड साहब ने कार्यवाही करने का हमको आश्वासन दिया था कल दिनांक 03.07.24 को करीब दो बजकर 22 मीनट पर मेरे मो.न. [illegible] पर कालुराम जी हैड साहब के मो. [illegible] से कोल आया मुझे कहा की तुमने रिपोर्ट दी है उस पर ठोस कार्यवाही करने के बदले मे दस हजार रूपये लगेगे इस प्रकार श्री कालुराम हैड साहब द्वारा मुझसे 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है आज भी सुबह करीब 10 बजकर 22 मीनट पर मेरी कालुरामजी हैड साहब से बात हुई तो कालुरामजी ने मुझे कहा कि दस हजार रूपये लेकर थाने आ जाओ तुमारी रिपोर्ट पर कार्यवाही कर दुंगा। मै कालुरामजी हैड साहब थाना चौरासी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरी कालुरामजी से पुरानी कोई लेन देन बाकी नही है ना ही कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश है कार्यवाही करावे उक्त आशय की रिपोर्ट हस्तलिखित रिपोर्ट श्री राजमल ने पेश करते हुये बताया की मै कम पढ़ा लिखा हुं। यह रिपोर्ट श्री जयप्रकाश जी ने अपने हस्तलिपि से लिखी है। प्रार्थी श्री राजमल रोत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो मामला रिश्वत राशि की मांग करने का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी को रिश्वत राशि मांग वार्ता करने हेतु कहा गया तो परिवादी राजमल रोत ने बताया कि श्री कालुराम जी हैड साहब आज ही थाने में बुला रहे है। हम अभी थाने पर जायेगें तो श्री कालुरामजी हैड साहब मिल जायेगे और रिश्वत राशि की मांग कर देंगें। जिस पर ब्यूरो कार्यालय में पदस्थापित श्री जितेन्द्र कुमार कान्सटेबल नं. 390 को कार्यालय कक्ष में बुलाया गया तथा परिवादी श्री राजमल रोत व कानि. श्री जितेन्द्र कुमार का आपस में परिचय कराया गया। श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर व नया खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर परिवादी श्री राजमल रोत को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश की गई तत्पश्चात् रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई एवं परिवादी श्री राजमल रोत एवं कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिये गये व परिवादी श्री राजमल रोत व श्री जयप्रकाश रोत को उनकी निजी मोटर साईकिल से व कानि. जितेन्द्र कुमार को मय डिजिटल टेप रिकोर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड के सरकारी मोटर साईकिल परिवादी के पिछे पिछे मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना चौरासी की तरफ रवाना किया गया। तत्पशचात समय करीब 03.20 पी.एम. पर दर्ज रहे कि श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुआ और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए बताया कि "मै आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना चौरासी के पास पंहुच कर समय करीब 01.45 पी.एम. पर परिवादी श्री राजमल रोत को मेरे द्वारा पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर की संचालन की विधि को समझाया गया था मैने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड लगा हुआ को कुछ समय पश्चात् चालू कर परिवादी श्री राजमल रोत को दिया वहां से परिवादी पुलिस थाना चौरासी के अन्दर की ओर गया तथा मैं व सहपरिवादी श्री जयप्रकाश रोत थाने के पास खड़े रहे। समय करीब 02.38 पी.एम. पर परिवादी राजमल रोत हमारे पास आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मुझे सुपुर्द किया जिसे मेने बन्द कर मेरे द्वारा सुरक्षित रखा। परिवादी श्री राजमल रोत ने मुझे बताया कि मैं मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के पुलिस थाना चौरासी के अन्दर गया जहां श्री कालुराम जी हैड साहब मिले जिन्होने मुझे बताया की लड़का मिल नही रहा है क्या करे बन्द किया जाये या छोड़ दिया जाये। 31000 रूपये मे मै तुम्हारे व अगली पार्टी का समझोता करा देता हूँ व कालुरामजी हैड साहब कादिरा करने के लिये कह रहे है और कहा की कुछ भी कहले रिपोर्ट तो मेरे पास है जांच तो मेरे को करनी है। मै कल सुबह तुम्हारे घर आउंगा आदि वार्ता हुई पर रिश्वत मांग की वार्ता नही हो पाई जिस पर

परिवादी श्री राजमल रोत व सहपरिवादी श्री जयप्रकाश रोत को आवश्यक निर्देश देकर वही पर छोड़ा जाकर चौरासी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के जरीये सरकारी मोटरसाईकिल के रवाना होकर हाजिर ब्यूरो कार्यालय आया"। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकोर्डर को चालु कर परिवादी श्री राजमल रोत व संदिग्ध श्री कालुराम हैड कानि. के मध्य हुई वार्ता को सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि नही हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित मेरे कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया व कानि. श्री जितेन्द्र को सुबह 8.15 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 05-07-2024 समय करीब 8.24 ए.एम पर परिवादी श्री राजमल रोत के मोबाई नम्बर ' से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414267591 पर कॉल आया व परिवादी श्री राजमल ने बताया की कालुरामजी हैड साहब से दिनांक 04.07.2024 को हुई बातचीत अनुसार आज मेरे घर पर आने के लिए कहा है श्री कालुरामजी हैड साहब मेरे घर पर आकर रिश्वत लेने की बात कर सकते है। जिस पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को मेरे कार्यालय कक्ष मे बुलाया गया व मेरे कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे हुये डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकाल कर कानि. जितेन्द्र कुमार को आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के जरिये सरकारी मोटरसाईकिल के परिवादी श्री राजमल रोत के घर जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। समय करीब 06.00 पी.एम. पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुआ और मन् पुलिस उप अधीक्षक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित सुपुर्द करते हुए बताया कि मै आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 9.15 ए.एम पर परिवादी श्री राजमल रोत के निवास माल चौकी पंहुचा जहा परिवादी श्री राजमल मौजुद मिला जिसे आवश्यक हिदायत देकर श्री कालुराम हैड कानि. के आने के इन्तजार मे मुकिम रहे। समय करीब 01.21 पी.एम तक श्री कालुरामजी हैड साहब के नही आने पर उनकी लोकेशन जानने के लिए परिवादी श्री राजमल रोत के मोबाईल न. से श्री कालुरामजी हैड कानि. के मोबाईल न पर कॉल किया जिस पर मेने परिवादी का मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजिटल टेप रिकोर्डर चालु कर वार्ता को रिकोर्ड किया गया। जिस मे श्री कालुरामजी हैड कानि. ने कहा की मै कोई काम मे लग गया था। घण्टे भर बाद मे आ रहा हुं। तत्पश्चात समय करीब 5.00 पी.एम तक श्री कालुराम हैड कानि. के उपस्थित नही आने पर परिवादी ने मुझे बताया की अब श्री कालुरामजी हैड साहब के आने की सम्भावना नही है। जिस पर परिवादी श्री राजमल रोत को आवश्यक हिदायत देकर वही रूखसत कर मै मय डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के जरिये सरकारी मोटरसाईकिल के परिवादी श्री राजमल रोत के घर से रवाना हो हाजिर ब्यूरो कार्यालय आया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो श्री जितेन्द्रकुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। तत्पष्चात दिनांक 08-07-2024 समय करीब 01.38 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री राजमल रोत को उसके मोबाईल नम्बर पर कॉल किया गया। जिस पर परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने बताया की श्री कालुरामजी हैड साहब हम दोनो पार्टीयो का आपसी समझोता कराना का दबाव बना रहे है। जिस पर परिवादी श्री राजमल रोत को हिदायत दी गई की जब भी श्री कालुराम हैड कानि. आपको थाने पर बुलावे तब मुझसे सर्म्पक करे। परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। दिनांक 16-07-2024 को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा समय करीब 11.37 ए.एम. पर अपने मोबाईल नम्बर ' से परिवादी श्री राजमल रोत को उसके मोबाईल नम्बर पर कॉल किया गया तो परिवादी ने बताया की श्री कालुराम हैड साहब का मेरे बार-बार कॉल आ रहा है तथा मुझे थाने पर बुला रहा है इसलिये हम आप से मिलने डूंगरपुर आ रहे है वहा आकर पुरी बात बताउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक निर्देश दिये जाकर ब्यूरो चौकी डूंगरपुर आने की हिदायत दी गई। समय करीब 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री राजमल रोत व सहपरिवादी श्री जयप्रकाश रोत उपस्थित ब्यूरो चौकी आये व परिवादी श्री राजमल रोत ने बताया की हमारे सामाजिक रितिरिवाज के अनुसार सुश्री शिवानी व महिपाल के मामले में आपसी समझोता दिनांक 14.07.2024 को हो गया है तथा उसकी आपसी लिखापढ़ी भी हुई है। उसके बाद दिनांक 15.07.2024 को श्री कालुराम जी हैड साहब का फोन आया तो उनको भी मैंने कहा कि हमारे आपस में समझौता हो गया है उसके बाद श्री कालुराम जी ने मेरे को कहा कि रिपोर्ट बन्द करानी है तो थाने पर आना पड़ेगा और खर्चा लेकर आना। चूंकि परिवादी द्वारा कहे अनुसार संदिग्ध आरोपी बार-बार कॉल कर रिश्वत राशि हेतु बुला रहा जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पदस्थापित श्री जितेन्द्र कुमार कान्सटेबल नं. 390 को कार्यालय कक्ष में बुलाया गया तथा मेरे कार्यालय कक्ष की अलमारी सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकाल कर कानि. श्री जितेन्द्र सिंह कानि. को समलाया गया व परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई इसी दरम्यान समय करीब 3.32 पी.एम. पर परिवादी श्री राजमल के मोबाईल नम्बर पर संदिग्ध श्री कालुलाल हैड कान्सटेबल के मोबाईल नम्बर से कॉल आया जिस पर परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताने पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी के मोबाईल का लाउडस्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया, उक्त वार्ता अनुसार परिवादी को श्री कालुलाल हैड कान्सटेबल द्वारा थाने पर बात करने हेतु बुलाया है। इस पर परिवादी श्री राजमल रोत व सहपरिवादी श्री

जयप्रकाश रोत को आवश्यक हिदायत दी गई। समय करीब 03.45 पी.एम. पर परिवादी श्री राजमल रोत व श्री जयप्रकाश रोत को उनकी निजी मोटर साईकिल से व कानि. जितेन्द्र कुमार को मय डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के सरकारी मोटर साईकिल परिवादी के पिछे पिछे मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना चौरासी की तरफ रवाना किया गया। समय करीब 5.20 पी.एम. पर कानि. जितेन्द्र कुमार को मय डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित आये। श्री जितेन्द्रकुमार कानि. ने डिजिटल टेप रिकॉर्ड पेश कर बताया कि मैं व परिवादी श्री राजमल व सहपरिवादी श्री जयप्रकाश व मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना शुदा पुलिस थाना चौरासी के पास समय करीब 4.10 पी.एम. पर पहुचे तथा परिवादी श्री राजमल को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर पुलिस थाना चौरासी के लिये रवाना किया तथा मैं व श्री जयप्रकाश सहपरिवादी पुलिस थाना के पास ही खड़े रहे। परिवादी श्री राजमल समय करीब 4.40 पी.एम. पर पुलिस थाना चौरासी के बाहर मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द की गई जिसे मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि मैं पुलिस थाना चौरासी में गया तो मुझे श्री कालुलाल हैड साहब मिल गये तथा उनको मैंने आपसी समझौता हो जाने के लिये कहा तत्पश्चात् श्री कालुलाल हैड साहब ने मेरे से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जिस पर कुछ कम करने के लिये निवेदन करने पर उनके द्वारा 7000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय हुआ। उसके पश्चात् मैंने अपने मोबाईल से कॉल कर मांग सत्यापन के हालात से आपको निवेदन किया गया तत्पश्चात् आपके द्वारा परिवादी श्री राजमल से भी वार्ता कर आवश्यक निर्देश दिये गये। परिवादी व सहपरिवादी को निर्देशानुसार आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि 7000 रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 17.07.2024 को प्रातः उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर गोपनीयता बरतने की समझाईश कर घर जाने हेतु रवाना किया तथा मैं चौरासी से समय करीब 4.47 पी.एम. पर रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। श्री जितेन्द्रकुमार कानि. द्वारा पेश किया गया डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों को दिनांक 17.07.2024 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई। चूंकि परिवादी राजमल की संदिग्ध आरोपी से हुई वार्ता अनुसार दिनांक 17.07.2024 को कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी की जाना आवश्यक होने से समय करीब 6.15 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय से एक तहरीर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय डूंगरपुर को पत्रांक 682 दिनांक 16.07.2024 जारी किया। कार्यालय का समय होने से जरिये दूरभाष वार्ता कर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु पाबन्द करने के लिये निवेदन किया गया जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिनस्थ पदस्थापित श्री जयन्ति लाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री जितेन्द्र कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को दिनांक 17.07.2024 को भ्र. नि.ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर प्रातः 7.00 ए.एम. पर भिजवाने हेतु अवगत करवाया गया तथा भ्र.नि.ब्यूरो इन्टे. उदयपुर पर पदस्थापित श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक को दिनांक 17.07.2024 को चौकी डूंगरपुर पर उपस्थित होने हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया तथा समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 17-07-2024 को समय 9.15 ए.एम. पर परिवादी श्री राजमल व सहपरिवादी जयप्रकाश दोनो ही ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादी श्री राजमल से दिनांक 16.07.2024 को मांग सत्यापन के सम्बन्ध में पुछा गया तो श्री जितेन्द्रकुमार कान्सटेबल द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई तथा बताया कि मैं मांग सत्यापन के दौरान् जब पुलिस थाना चौरासी में गया तो सर्वप्रथम श्री कालुराम हैड साहब द्वारा अपने हाथों की अंगुलियों व अंगूठों से दस का ईशारा किया गया तत्पश्चात् आपस में बातचीत होने के दौरान् अन्त में सात हजार रूपये लेना तय हुआ था। श्री कालुराम हैड कान्सटेबल की मांग के मुताबिक रिश्वत में दी जाने वाली सात हजार रूपये की व्यवस्था कर लाया हूँ। इसके पश्चात् परिवादी श्री राजमल व सहपरिवादी श्री जयप्रकाश को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। समय करीब 9.40 ए.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री जयन्तिलाल पुत्र श्री महेशचन्द्र कटारा उम्र 39 वर्ष निवासी रास्तापाल पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर हाल अतिरिक्त प्रशानिक अधिकारी व श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बक्षीराम अहारी उम्र 42 वर्ष निवासी झौंथरी तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय डूंगरपुर कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी-अपनी सहमति मौखिक ही व्यक्त की गई तत्पश्चात् परिवादी श्री राजमल व सहपरिवादी श्री जयप्रकाश का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी की ओर से ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी व सहपरिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया तत्पश्चात् परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री राजमल ने बताया कि श्री कालुराम हैड साहब बार-बार रिश्वत राशि लेने के लिये फोन करते है इसलिये जल्दी ही पुलिस थाना चौरासी पर बुलाया है। चूंकि परिवादी श्री राजमल के कहे अनुसार ट्रेप कार्यवाही शीघ्र ही किये जाने से तथा समय अभाव के कारण कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखी डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी को श्री जितेन्द्रकुमार कानि. से मंगवाया जाकर परिवादी श्री राजमल एवं संदिग्ध श्री कालुराम हैड कान्सटेबल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को दोनो गवाहान को मुख्य-मुख्य अंश सुनाई गई तो उनके द्वारा भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि की गई।

परिवादी व संदिग्ध श्री कालुराम हैड कान्सटेबल के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को लेपटॉप में सेव किया गया। समयाभाव होने से उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब की गई। समय करीब 10.00 ए.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजमल रोत से आरोपी श्री कालुराम हैड कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री राजमल रोत ने अपने पास से 500-500 रूपये के 14 नोट कुल राशि 7,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है: – 1 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3EN444364 2 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5DM075425 3 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5UC756113 4 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2GV036690 5 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5AG502946 6 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 7ST433167 7 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3QQ451776 8 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2AV746846 9 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1AN466468 10 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2VM949859 11 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 1AA328288 12 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 3SU351260 13 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 5UR164114 14 एक नोट 500/- रूपये का नम्बर 2FR082504 परिवादी श्री राजमल रोत द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री वीर विक्रम सिंह कानि. न. 189 से कार्यालय के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनां ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री राजमल रोत की जामातलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र कुमार मीणा से लिवाई गयी। आरोपी श्री कालुराम हैड कानि. के लिए परिवादी श्री राजमल रोत द्वारा पेश किये गये नोटां को श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ही परिवादी श्री राजमल की पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में कोई शैः नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री महेश चन्द्र कानि. न. 394 से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री वीर विक्रम सिंह कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेंगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री वीर विक्रम सिंह कानि से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री वीर विक्रम सिंह कानि से ही मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री महेश चन्द्र कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री राजमल रोत को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री वीर विक्रम सिंह कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। समय करीब 10.35 ए.एम. पर तलबी शुदा श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक भ्र.नि.ब्यूरो इन्टें उदयपुर उपस्थित आये जिनका परिवादी, सहपरिवादी व दोनो गवाहान का आपस में परिचय करवाते हुए की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाकर उसके हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। समय करीब 10.40 ए.एम. पर परिवादी श्री राजमल रोत, सहपरिवादी श्री जयप्रकाश की निजी मोटरसाईकिल के साथ श्री जितेन्द्र कुमार कानि. एवं श्री बाबुलाल कानि. व श्री महेशचन्द्र कानि. को सरकारी मोटरसाईकिल, श्री दलपतसिंह को निजी कार से पुलिस थाना चौरासी के पास रूकने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाह जयन्तिलाल कटारा व श्री जितेन्द्रकुमार अहारी, श्री राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक, श्री करणसिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री धिरेन्द्रसिंह कानि. मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, सरकारी केमरा आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन संख्या आर.जे.-14-यू.सी.-8793 से सभी ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से पुलिस थाना चौरासी के लिये रवाना हुए। परिवादी श्री राजमल रोत, सहपरिवादी श्री जयप्रकाश की

निजी मोटरसाईकिल के साथ श्री जितेन्द्रकुमार कानि. एवं श्री बाबुलाल कानि. व श्री महेशचन्द्र कानि. को सरकारी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना चौरासी के पास रूकने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाह जयन्तिलाल कटारा व श्री जितेन्द्रकुमार अहारी, श्री राजेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक, श्री करणसिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री धिरेन्द्रसिंह कानि. मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, सरकारी केमरा आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन संख्या आर.जे.-14-यू.सी.-8793 से सभी ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना शुदा समय करीब 11.25 ए.एम. पर पुलिस थाना चौरासी से कुछ दूरी पहले पहुंचे तथा सभी के वाहनों को एक तरफ साईड में खड़ा करवाकर समय करीब 11.30 ए.एम. पर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश देकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना चौरासी की ओर रवाना किया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक व दोनो गवाहान, सहपरिवादी श्री जयप्रकाश तथा स्टाफ के सदस्य परिवादी श्री राजमल के पिछे-पिछे पुलिस थाना चौरासी के इर्द-गिर्द खड़े होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे तथा श्री जितेन्द्रकुमार कानि. को पुलिस थाना भवन के गेट के पास खड़े रहने हेतु रवाना किया। समय करीब 11.44 पी.एम. पर परिवादी राजमल रोत ने पुलिस थाना चौरासी के बाहर सड़क पर खड़ा होकर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता ने देखा उसी दरम्यान श्री जितेन्द्रकुमार कानि. जो पुलिस थाना चौरासी के गेट के पास खड़ा था उसने भी परिवादी का निर्धारित ईशारा देखकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर परिवादी के ईशारे के बारे में बताया तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के साथ परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक को देने पर टेप रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी-अभी श्री कालुराम हैड कान्सटेबल पुलिस थाना चौरासी में एक तरफ कोने में स्थित कमरे में बातचीत करने के बाद उनको मैंने आपसी राजीनामे की रिपोर्ट व एक खाली कागज जिस पर शिवानी के दस्तखत किये हुए जो दिये उसके बाद उनकी मांग के मुताबिक मैंने सात हजार रूपये दिये जो उन्होने अपने हाथों से ग्रहण कर उसमें से पांच सौ रूपये मेरे को खर्चे के लिये वापस दिये जो मेरे पास है और बाकी के 6500 रूपये उन्होने अपने पहने हुए पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे उसके बाद जेब से रूपये निकालकर मेरे द्वारा दी गई रिपोर्ट के बीच में रखकर उनके टेबल की दराज में रख दिये और मैं जब कमरे से बाहर निकला तो श्री कालुराम हैड कान्सटेबल भी मेरे पिछे-पिछे कमरे से बाहर आया और मैं वहां से निकलकर पुलिस थाना चौरासी के गेट के बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया है। इस पर परिवादी के साथ मन् पुलिस उप अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो का जाप्ता के साथ पुलिस थाना चौरासी के परिसर में बने दाहिनी तरफ टीनशेड के नीचे खड़े हुए एक व्यक्ति की ओर देखकर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री कालुराम हैड कान्सटेबल है जिन्होने अभी-अभी इनकी मांग के मुताबिक सात हजार रूपये ग्रहण किये थे। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 388 पुलिस थाना चौरासी होना बताते हुए घबरा गया तथा हाथ जोड़ने लगा। इस पर आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 388 के दाहिना हाथ श्री बाबुलाल व बांया हाथ श्री महेशचन्द्र कान्सटेबल से कलाई के पास से पकड़वाया जाकर पुलिस थाना में बने हुए थानाधिकारी के कक्ष में प्रवेश किया जहां पर श्री रिजवान खान थानाधिकारी पुलिस थाना चौरासी मौजुद मिले जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने मनतव्य से अवगत कराते हुए कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी श्री राजमल ने बताया कि मैं इनको कालुलाल नाम से ही जानता हू मुझे तो अभी आप द्वारा इनका परिचय पुछने पर जानकारी में आया कि इनका नाम कारूलाल है इस पर परिवादी ने बताया कि अभी-अभी कुछ समय पहले पुलिस थाना चौरासी में आया तो मुझे कारूलाल जी हैड साहब थाने में एक तरफ कोने में स्थित कमरे में मिले जहां पर इन्होने मेरे से बातचीत करने के बाद मैंने आपसी राजीनामा की रिपोर्ट व एक खाली कागज जिस पर शिवानी के दस्तखत किये हुए जो दिये उसके बाद उनकी मांग के मुताबिक मैंने सात हजार रूपये दिये जो उन्होने अपने हाथों से ग्रहण कर उसमें से पांच सौ रूपये मेरे को खर्चे के लिये वापस दिये जो मेरे पास है और बाकी के 6500 रूपये उन्होने अपने पहने हुए पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे उसके बाद जेब से रूपये निकालकर मेरे द्वारा दी गई रिपोर्ट के बीच में रखकर उनके टेबल की दराज में रख दिये। इस पर आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल से पूछा गया कि आपने अभी अभी कुछ समय पूर्व परिवादी श्री राजमल के भाई श्री लक्ष्मणलाल की पुत्री शिवानी को श्री महिपाल पुत्र श्री डूंगर रोत को बलात्कार की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2024 को दी गई थी जिस पर कार्यवाही करने के नाम पर एवं परिवादी के भाई लक्ष्मणलाल व महिपाल के घर वालों के बीच आपसी समझौता हो जाने पर कार्यवाही को बन्द करने के नाम पर दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए सात हजार रूपये रिश्वत राशि लेना तय हुआ तत्पश्चात् आज दिनांक 17.07.2024 को सात हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने के बाद पांच सौ रूपये परिवादी श्री राजमल को खर्चे के तौर पर देकर शेष 6500 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की है, के संबंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि गलती हो गई माफ कर दो, मैं इनके गांव का ही निवासी हू तथा भरोसे रह गया और मेरे साथ धोखा हो गया तथा बताया कि श्री राजमल रोत व उसके

भाई श्री लक्ष्मण रोत दिनांक 25.06.2024 को थाने पर मेरे पास आये थे तथा इन्होने श्री लक्ष्मण रोत के पुत्री शिवानी को श्री महिपाल द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट दी थी रिपोर्ट मेरे पास ही थी उसके बाद उक्त रिपोर्ट मैंने दिनांक 06.07.2024 को थाने पर डी.ओ. ड्युटी इन्चार्ज श्री ईश्वरलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 685 को सुपुर्द की थी जिस पर उनके द्वारा परिवाद भाग-3 में इन्द्राज कर मुझे वापस जॉच हेतु दी गई थी। श्री लक्ष्मण रोत व श्री महिपाल के घर वालों के बीच आपसी समझौता हो जाने से मेरे द्वारा खर्चे के रूप में सात हजार रूपये लिये जिसमें से पांच सौ रूपये मैंने श्री लक्ष्मण रोत को दे दिये तथा 6500 रूपये मैंने लिये थे जो मेरे पहने हुए पेन्ट की दाहिनी जैब में रखे उसके बाद जैब से 6500 रूपये निकालकर मैंने शिवानी की रिपोर्ट के अन्दर रखकर टेबल की दराज में रखे है जो वही पड़े हुए है। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनो गवाहान, परिवादी व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल को साथ लेकर पुलिस थाना स्थित एच.एम. क्राईम कक्ष में पहुंचे तथा आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल की निशादेही से टेबल की दराज में पड़े कागजात निकालकर पेश की जिसे गवाह श्री जितेन्द्रकुमार के पास रखवाये गये, गवाहान द्वारा कागजात के बीच में पांच-पांच सौ रूपये के नोट पड़े मिले होना बताया जिसे पूर्व में मुर्तिब फर्द में अंकित नम्बरों से मिलान करवाने पर नोटों के नम्बर हुबहू होना स्वीकार करते हुए 500-500 के 13 नोट कुल 6500 रूपये होना बताया। उक्त रिश्वत राशि के नोट सुरक्षित रखने हेतु श्री जितेन्द्रकुमार को सुपुर्द किये तथा कागजात भी साथ लिये जाकर पुनः एच.एम. क्राईम कक्ष से निकलकर थानाधिकारी के कक्ष में उपस्थित हुए तथा प्रकियानुसार आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 388 के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री महेशचन्द्र कान्सटेबल से सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकालाकर पुलिस थाना परिसर से पानी के केम्पर में से एक पानी की बोतल भरवाकर मंगवाई तथा उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कारूलाल के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री महेशचन्द्र कान्सटेबल से कराये जाकर मार्क RH 1 व RH 2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्टेबल के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटेमेला हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री महेशचन्द्र कान्सटेबल से कराये जाकर मार्क LH 1 व LH 2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल की निशादेही पर रिश्वत राशि 6500 रूपये जो गवाह श्री जितेन्द्रकुमार के पास सुरक्षित रखी हुई थी। दोनो गवाह से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो 500-500 रूपये के 13 नोट कुल 6500 रूपये के नोटो के नम्बरों का मिलान फर्द में अंकित नम्बरों से हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद 6500 रूपये की रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री महेशचन्द्र कान्सटेबल से सिलचिट बन्द करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। परिवादी श्री राजमल को आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल ने दौराने् रिश्वत राशि लेन-देन खर्चे के रूप में दिये गये पांच सौ रूपये का नोट पेश करने हेतु कहने पर उसने अपने पहने हुए जिन्स पेन्ट के आगे की बायी जेब में से निकालकर श्री जितेन्द्रकुमार गवाह को पेश किया दोनो गवाह से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो पांच सौ रूपये के नोट के नम्बर का मिलान हुबहू होना बताया। उपरोक्त पांच सौ रूपये के नोट को एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री महेशचन्द्र कान्सटेबल से सिलचिट बन्द करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। रिश्वत राशि 6500 रूपये जो शिवानी के आपसी समझौता की रिपोर्ट व कागजात के अन्दर से बरामद हुई थी जिसका भी नियमानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक नई प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास ट्रेप बॉक्स में से निकालकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, लक्ष्मण रोत की पुत्री शिवानी के आपसी समझौता की रिपोर्ट व एक खाली पेज पर शिवानी के हस्ताक्षर किये हुए है जहां से बरामद हुई उक्त जगह पर एक रूई के फूंए को घुमाकर गिलास के रंगहीन घोल में डूबाया तो घोल का हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री बाबुलाल कान्सटेबल से कराये जाकर मार्क R 1 व R 2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि बरामदगी कागजात पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक प्लास्टिक की पारदर्शी थेली में रखकर एक कपड़े की थेली में नियमानुसार सिलचिट बन्द करा मार्क R अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री कारूलाल द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने पहने हुए पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे जिसका भी नियमानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के पहने हुए पेन्ट को ससम्मान उतरवाकर उसे दूसरी पेन्ट पहनाकर एक नई प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास ट्रेप बॉक्स में से निकालकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के पेन्ट की दाहिनी जैब को उलटवाकर गिलास के रंगहीन घोल में डूबाया तो घोल का रंग मटमेला झांईदार हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा

भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री जितेन्द्रकुमार कान्सटेबल से कराये जाकर मार्क P 1 व P 2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल की उक्त पेन्ट बंरग ग्रै रंग की दाहिनी जेब सुखने पर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट बंद श्री जितेन्द्रकुमार कान्सटेबल से कराये जाकर मार्क "P" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री राजमल रोत के भाई श्री लक्ष्मण रोत की पुत्र शिवानी की ओर से पुलिस थाना चौरासी में रिपोर्ट पेश की गई थी उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में रिकॉर्ड के बारे में श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल को पुछा तो उसने बताया कि शिवानी के पिताजी श्री लक्ष्मण रोत व श्री महिपाल के पिता श्री डूंगर रोत के बीच आपसी समझौता हो जाने से मैंने मेरे एच.एम. क्राईम कक्ष में मेरी टेबल की दराज में रखा हुआ है तथा आपसी समझौता की रिपोर्ट भी श्री राजमल रोत ने मुझे आज दी थी जो मैंने रिश्वत राशि लेकर उसके व शिवानी के हस्ताक्षरशुदा खाली कागज के बीच रखी थी, जिसका आपके द्वारा धोवन लिया जाकर नियमानुसार सिलचिट बन्द कर दिया गया है तथा जिस पर एक पत्रांक SPL-1 दिनांक 17.07.2024 थानाधिकारी पुलिस थाना चौरासी को शिवानी के नाम से सम्बन्धित परिवाद व सम्बन्धित परिवाद रजिस्टर व की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां चाहने हेतु दिया गया तत्पश्चात् श्री रिजवान खान थानाधिकारी पुलिस थाना चौरासी ने अपने कार्यालय पत्रांक 2128 दिनांक 17.07.2024 के साथ सुश्री शिवानी द्वारा महिपाल के विरूद्ध दी गई रिपोर्ट एवं उसके साथ पुलिस थाना के परिवाद रजिस्टर भाग 03 में क्रमांक 532 दिनांक 06.07.2024 की प्रमाणित प्रतिया पेश कर बताया कि दिनांक 06.07.2024 को थाना चौरासी पर तैनात श्री ईश्वरलाल हैड कान्सटेबल जो कि डी.ओ. ड्युटी प्रभारी था उसके द्वारा श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के जिम्मे जॉच कर विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु इन्द्राज किया तथा उसके हस्ताक्षर मय दिनांक अंकित है। चूंकि परिवादी श्री राजमल व उसके भाई श्री लक्ष्मण द्वारा शिवानी की ओर से रिपोर्ट पुलिस थाना चौरासी पर दिनांक 25.06.2024 को श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल को दी गई थी लेकिन उक्त रिपोर्ट में दिनांक 6.7.2024 अंकित होना पाई गई जिस पर श्री ईश्वरलाल हैड कान्सटेबल पुलिस थाना चौरासी को तलब कर सुश्री शिवानी द्वारा दी गई मूल रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा गया तो श्री ईश्वरलाल हैड कान्सटेबल ने एक पत्रावली पेश की गई जिसमें शिवानी की मूल रिपोर्ट थी जिसका अवलोकन किया गया तो दिनांक के आगे वाईटनर लगाकर उस पर 6.7.2024 अंकित किया गया है जिसके बारे में श्री ईश्वरलाल को पुछा गया तो बताया कि श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल द्वारा मुझे परिवाद दिनांक 06.07.24 को ही पेश किया गया था मेरे द्वारा श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल को जॉच कर विधि सम्मत कार्यवाही करने हस्ताक्षर कर दिया गया था तथा उन्ही के द्वारा दिनांक के आगे वाईनर लगाया हो जो मेरी जानकारी में नही है। इस पर उपस्थित श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल को इस सम्बन्ध में पुछा गया तो चुप रहा तथा कोई प्रत्युत्तर नही दिया गया। उक्त मूल परिवाद से सम्बन्धित दस्तावेज पेज संख्या 01 से 02 तक को कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा थानाधिकारी पुलिस थाना चौरासी ने अपने कार्यालय पत्रांक 2128 दिनांक 17.07.2024 के साथ सुश्री शिवानी द्वारा महिपाल के विरूद्ध दी गई रिपोर्ट एवं उसके साथ पुलिस थाना के परिवाद रजिस्टर भाग 03 में क्रमांक 532 दिनांक 06.07.2024 की प्रमाणित प्रतिया पेज 01 से 04 तक पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपी के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपी ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त फर्द बरामदगी श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा टंकन कर तैयार की गई। समय करीब 02.30 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय करीब 03.00 पी.एम. पर दिनांक 04-07-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री राजमल रोत की वार्तालाप आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य आमने सामने पुलिस थाना चौरासी पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री जितेन्द्रकुमार कान्सटेबल नम्बर 390 से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय करीब 6.15 पी.एम. पर आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के रिहायशी आवास पुलिस थाना चौरासी की बैरक में ही होना बताये जाने पर उक्त बैरक में मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों गवाहान एवं आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल की निशादेही से खानातलाशी नियमानुसार ली जाकर फर्द खानातलाशी पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 6.45 पी.एम. पर रिश्वती राशि के मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री राजमल रोत व श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 388 के मध्य मोबाईल व रूबरू हुई थी जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा दिनांक 17.07.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री राजमल रोत की वार्तालाप आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 388 से हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई। पुलिस थाना चौरासी के थानाधिकारी श्री रिजवान खान को तलब कर आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल व परिवादी के मध्य मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन-देन वार्तालाप के मुख्य-मुख्य अंश सुनाए गए तो श्री रिजवान खान द्वारा उक्त वार्तालाप में एक आवाज श्री

कारूलाल हैड कान्सटेबल की होने की पहचान की गई जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07.10 पी.एम. पर आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 388 को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी ली आरोपी के कब्जे से रिश्वती राशि के अलावा 4500 रूपये मय पर्स एवं मोबाईल OPPO कम्पनी का जिसमें दो सीम लगी हुई थी उक्त मोबाईल को आरोपी से अनलोक करा कर चैक किया गया तो प्रकरण से सम्बधीत कोई साक्ष्य नही होने से आरोपी के पुत्र को मोबाईल व पर्स मय 4500 रूपये सुपुर्द किये गये जो फर्द गिरफ्तारी में दर्ज कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 7.30 पी.एम. पर दिनांक 05-07-24 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 388 के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व दिनांक 16.07.2024 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल नम्बर 388 के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व रूबरू वार्ता रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य आमने सामने पुलिस थाना चौरासी पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री जितेन्द्रकुमार कान्सटेबल नम्बर 390 से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय करीब 9.30 पी.एम. पर दिनांक 17-07-24 को रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री राजमल रोत की वार्तालाप आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल से हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई, उक्त डिजिटल टेप रिकोर्डर को श्री जितेन्द्रकुमार कान्सटेबल नम्बर 390 से कार्यालय हाजा के लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय करीब 10.30 पी.एम. पर आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल को भ्र.नि.ब्यूरो डूंगरपुर के पत्रांक एसपीएल 2 दिनांक 17-05-24 आवाज का नमूना व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में दिया गया तो आरोपी ने इसी पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बवक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। समय करीब 10.40 पी.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेपटॉप से श्री जितेन्द्रकुमार कान्सटेबल से कनेक्ट करा दिनांक 04.07.2024 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.07.24 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य हुई मोबाईल वार्तालाप, दिनांक 16.07.2024 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व रूबरू वार्ता व दिनांक 17.07.2024 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त हुई वार्ता की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव MORJIM 16 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क न् अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा समय 10.40 पी.एम. पर जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव MORJIM 16 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय करीब 10.50 पी.एम. पर परिवादी श्री राजमल रोत तथा आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य दिनांक 04.07.2024 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.07.24 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य हुई मोबाईल वार्तालाप, दिनांक 16.07.2024 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व रूबरू वार्ता व दिनांक 17.07.2024 को परिवादी श्री राजमल रोत व आरोपी श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान हुई वार्तालाप जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला जिस पर MORJIM 16 जी.बी. लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। परिवादी श्री राजमल रोत को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय करीब 11.00 पी.एम. पर उक्त कार्यवाही के दौरान् सरकारी केमरे से विडियोग्राफी की गई थी, उक्त विडियोग्राफी केमरे में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई रिकॉर्डिंग को केमरे को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त विडियो रिकॉर्डिंग के दो पेनड्राईव तैयार किये गये जिसमें से एक मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नियमानुसार एक कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट बन्द कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव को कवर में रखकर लिफाफे में सुरक्षित रखवाया गया तथा आरोपी की खाना तलाशी के दौरान् सरकारी केमरे से विडियोग्राफी की गई थी, उक्त विडियोग्राफी केमरे में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई रिकॉर्डिंग को केमरे को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त विडियो रिकॉर्डिंग के दो पेनड्राईव तैयार किये गये जिसमें से एक मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नियमानुसार एक कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट बन्द कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव को कवर में रखकर लिफाफे में सुरक्षित

रखवाया गया तथा उक्त दोनो मूल पेनड्राईव की पृथक-पृथक फर्द जब्ती मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। केमरे की विडियोग्राफी श्री बाबुलाल कान्सटेबल से करवाई गई। समय करीब 11.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही विरूध श्री कारूलाल हैड कानि न. 388 में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स ईत्यादि को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाकर ट्रेप बॉक्स एवं लेपटोप, प्रिन्टर को सरकारी वाहन में रखवाकर मन पुलिस उप अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री कारूलाल हैड कानि. न. 388 एवं ब्यूरो का समस्त जाप्ता सहित सरकारी वाहनो से पुलिस थाना चौरासी से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। दिनांक 18-07-2024 को ट्रेप कार्यवाही विरूध श्री कारूलाल हैड कानि न. 388 में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा आर्टीकल्स ईत्यादि को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाकर ट्रेप बॉक्स एवं लेपटोप, प्रिन्टर को सरकारी वाहन में रखवाकर मन पुलिस उप अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री कारूलाल एवं ब्यूरो का जाप्ता सहित सरकारी वाहनों से पुलिस थाना चौरासी से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना शुदा समय 12.05 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर पहुचकर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री वीर विक्रम सिंह को सुर्पद कर निर्देशित किया जाकर दोनों गवाहान को हिदायत देकर रूखसत किया गया एवं श्री दलपत सिंह क.लि. को भ्र. नि. ब्यूरो इन्टे उदयपुर के लिये रवाना किया गया। समय करीब 12.20 ए.एम. पर आरोपी श्री कारूलाल हैड कानि. का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना एवं सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात कराना आवश्यक होने से ब्यूरो जाप्ता श्री राजेन्द्र सिंह पु.नि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. एवं श्री महेश चन्द्र कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री कारूलाल हैड कानि. का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु राजकीय हरिदेवजोशी चिकित्सालय, डूंगरपुर एवं बंद हवालात कराने पुलिस थाना सदर के लिए हिदायतन रवाना किया गया था। समय करीब 01.10 ए.एम. पर उपरोक्त पेरा के रवानाशुदा ब्यूरो जाप्ता श्री राजेन्द्र सिंह पु.नि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि. एवं श्री महेश चन्द्र कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री कारूलाल हैड कानि. का स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय हरिदेवजोशी चिकित्सालय, डूंगरपुर से करा रवाना हो पुलिस थाना सदर पहुच आरोपी श्री कारूलाल को बंद हवालात करा उपस्थित कार्यालय आये और परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना सदर के रोजनामचा आम की नकल रपट मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिसे शामील पत्रावली की गई। समय करीब 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में पदस्थापित श्री करण सिंह सहायक उप निरीक्षक व श्री वीर विक्रम सिंह कान्सटेबल को ब्यूरो कार्यालय से पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर से आरोपी श्री कारूलाल हैड कानि. को ब्यूरो कार्यालय में लेकर आने हेतु निर्देशित किया गया जो इस समय कार्यालय में श्री कारूलाल हैड कान्सटेबल को लेकर उपस्थित आये जिसे कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया व पुलिस थाना सदर के रोजनामचा आम की नकल रपट मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिसे शामील पत्रावली की गई। समय करीब 01.10 पी.एम. पर श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एवं वीर विक्रम सिंह कानि. व महेशचन्द्र कानि. आरोपी श्री कारूलाल हैड कानि. को सरकारी वाहन से जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रमांक 01 के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किये गये। जिस पर आरोपी श्री कारुलाल हेड कानी. को जरिये जे सी रिमाण्ड हेतु माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 01, उदयपुर में पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी श्री कारुलाल हेड कानी. को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया। जिस पर आरोपी का जे.सी. वारण्ट प्राप्त कर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सामिल पत्रावली की गई। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि श्री कारूलाल पुत्र श्री देवजी यादव जाति यादव उम्र 51 वर्ष निवासी बोखला पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल हैड कानि. न. 388 पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी के छोटे भाई लक्षमण की पुत्री सुश्री शिवानी को महिपाल पिता डूंगर निवासी माल चौरासी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था जिसमें ठोस कार्यवाही करने के बदले मे दस हजार रूपये की रिश्वत की मांग करना व रिश्वत राशी मांग सत्यापन के दोरान 7000 रूपये में सौदा तय करना दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री कारूलाल हैड कानि. ने परिवादी से 7,000 रूपये रिश्वत् राशि मांग कर ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है, जो कि जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपी श्री कारूलाल पुत्र श्री देवजी यादव जाति यादव उम्र 51 वर्ष निवासी बोखला पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल हैड कानि. न. 388 पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो डूंगरपुर.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) में श्री कारूलाल पुत्र श्री देवजी यादव जाति यादव उम्र 51 वर्ष निवासी बोखला पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल हैड कानि. न. 388 पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,ईन्टें, उदयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 974 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर क्रमांक 759-62 दिनांक 19.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 पुलिस अधीक्षक,जिला डूंगरपुर । 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/07/2024 16:5

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/07/1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)